www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 25.04.2017

सीबीआई के एक मामले में आरोपी राजेन्द्र सदाशिव निकल्जे उर्फ छोटा राजन तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के तीन तत्कालीन कर्मियों को सात वर्ष की साधारण कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, पटियाला हाऊस कोर्ट, नई दिल्ली ने आज केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक मामले में श्री राजेन्द्र सदाशिव निकल्जे उर्फ छोटा राजन को 15,000 रू. के जुर्माने सहित 07 वर्ष की साधारण कारावास तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आर.पी.ओ.), बंगलौर के तीन तत्कालीन कर्मियों यथा सुश्री जयश्री रहाटे ; श्री दीपक नटवरलाल और सुश्री ललिता लक्ष्मणनन् को 15,000 रू. प्रत्येक पर जुर्माने सहित 07 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई ने श्री राजेन्द्र सदाशिव निकल्जे उर्फ छोटा राजन एवं अज्ञात लोक सेवकों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 474 ; पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत दिनांक 31.10.2015 को मामला दर्ज किया।

सीबीआई ने श्री राजेन्द्र सदाशिव निकल्जे उर्फ छोटा राजन को उसके इण्डोनेशिया से प्रत्यपर्ण के पश्चात दिनांक 06.11.2015 को गिरफ्तार किया एवं उसे दिनांक 19.11.2015 तक पुलिस हिरासत में भेजा। वर्तमान में, वह तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में न्यायिक हिरासत में है।

जॉच के दौरान यह सिद्ध हुआ कि आरोपी श्री राजेन्द्र सदाशिव निकल्जे उर्फ छोटा राजन ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर के तत्कालीन कर्मियों जयश्री रहाटे, दीपक नटवरलाल शाह एवं ललिथा लक्ष्मणनन् के साथ आपराधिक षड़यत्र में बेईमानी पूर्वक व कपटपूर्ण तरीके से गैर-मौजूद व्यक्ति मोहन कुमार के नाम पर दिनांक 01.01.1998 को कथित रूप से जारी भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किया। उक्त पासपोर्ट के आधार पर श्री राजेन्द्र सदाशिव निकल्जे उर्फ छोटा राजन ने कपटपूर्ण तरीके से हरारे, जिम्बाम्बे स्थित भारतीय उच्चायोग से दिनांक 19.12.2003 को जारी एक अन्य पासपोर्ट और भारत के महावाणिज्य दूतावास, सिडनी (आस्ट्रेलिया) से अन्य पासपोर्ट प्राप्त कर लिया। उक्त पासपोर्ट (आर.पी.ओ. बंगलौर से कपटपूर्ण तरीके से जारी) के बल पर छोटा राजन, जिम्बाम्बे एवं आस्ट्रेलिया में मोहन कुमार के ज़ाली पहचान पत्र पर रहा।

गहन जॉच के पश्चात, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, पटियाला हाऊस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष दिनांक 02.02.2016 को श्री राजेन्द्र सदाशिव निकल्जे उर्फ छोटा राजन तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर के तत्कालीन कर्मियों सुश्री जयश्री रहाटे, श्री दीपक नटवरलाल शाह और सुश्री ललिथा लक्ष्मणनन् (वर्तमान में सभी सेवानिवृत्त) के विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आरोप पत्र दायर किया।

विचारण के पश्चात, दिल्ली की नामित अदालत ने श्री राजेन्द्र सदाशिव निकल्जे उर्फ छोटा राजन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 419, 420, 467, 468, 471 एवं 474, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 7 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के अपराधों एवं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आर.पी.ओ.), बंगलौर के अन्य तत्कालीन कर्मियों यथा सुश्री जयश्री रहाटे ; श्री दीपक नटवरलाल एवं सुश्री ललिता लक्ष्मणनन् को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत कसूरवार पाया।

****